FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

दिनांक 13.08.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी

मिसल नम्बरः–125 / 2022

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

रमेश देवी पुत्री रामकुवार सिंह पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खेतावाली ग्राम लालगढ़ तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.22	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 760 दिनांक 03.08.2022 के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेशः– अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **लालगढ़** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 हाल खाता संख्या 23 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि मानबाई पुत्री माधो सिंह के स्थान पर **माना देवी पुत्री माधो सिंह** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 13.08.2022 को खुले आम में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Jai Singh Date: 2022.11.02 12:22:23 IST Reason: SelfAttested (संजय सुरोलिया) सदस्य अधिवक्ता (जय सिंह) RAS सदस्य उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (सुश्री स्वेता शर्मा) अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत	